



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 391 राँची, बुधवार, 4 भाद्र, 1942 (श०)
26 अगस्त, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या :-11/बंदी विविध-07/2019- 2984 -- केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1	बोहन यादव, पे.- कुधु यादव, उम्र- 76 वर्ष लगभग	सा.- पुनदाग, थाना- रंका, जिला- गढ़वा	सत्रवाद सं.- 157/2003, रंका थाना काण्ड सं.- 32/2003, जी. आर.-306/2003, धारा- 302/34 भा.द.वि.

2	रामनाथ चौधरी, पे0- रामपूत चौधरी, उम्र- 71 वर्ष लगभग (वृद्ध)	सा0- करीवाडीह, थाना- मझिआँव, जिला- गढ़वा	सत्रवाद सं0- 92/2000, मझिआँव थाना काण्ड सं0-79/1993 जी0आर0- 622/1993, धारा- 147, 148, 307, 302 भा0द0वि0
3	सुधीर महतो, पे0- साफी महतो, उम्र- 54 वर्ष लगभग	सा0- कुरमीडीह, बाराबाद, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर।	सत्रवाद सं0- 40/86, मधुपुर थाना काण्ड सं0- 88/1985, धारा-147, 379, 302/34, 342, 323, 325 भा0द0वि0

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
